lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2015

Qjojh&2015

xkfe.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(ग्र.वि.वि.)21/13	ग्राम पंचायत कदगावां कला के मुख्यालय कदगावां कला में पंचायत सचिवालय नहीं बनने के संबंध में श्री सुनिल सिंह चतरा का परिवाद ।	23.02.2015	उप विकास आयुक्त चतरा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत का निर्माण उचित स्थल पर किया जा रहा है साथ ही परिवादी द्वारा जांच प्रतिवेदन की कापी समर्पित करने पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ifyl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(पुलिस)14/2014	पुलिस की मिली–भगत से मकान पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री भोला यादव, साहेबगंज का परिवाद ।	23.02.2015	परिवाद अचल संपति पर अधिकार से संबंधित दो लोगों का निजी मामला है। अतः वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)06/2013	धनबाद जिला के कतरास थाना प्रभारी शिव चन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं जालसाजी का जांच कराने के संबंध में श्री मनोज महतो धनबाद का परिवाद ।	20.02.2015	पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध समुचित कार्रवाई कीया जा चूका है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(विविध)02/2014	जन जागरूकता अभियान कार्याक्रम को प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय पलामू का परिवाद ।	02.02.2015	जिला प्रशासन पलामू से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	शिकायत सं. 119/2014	छात्रवृति भुगतान के संबंध में श्री प्रकाश राणा चतरा का शिकायत ।	16.02.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 339/2014	श्री मनोज कुमार ठाकुर जिला मत्स्य पदाधिकारी राँची तथा श्री शंभु प्रसाद यादव जिला मत्स्य पदाधिकारी हजारीबाग के विरूद्ध पद का दुरूप्योग कर अवैद्य संपति अर्जित करने के संबंध में श्री आनंद किशोर पासवान, हजारीबाग का शिकायत ।	25.02.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 124/14	प्रभारी कार्यपालक अभियंता ग्रामिण विकास विभाग प्रमंडल लोहरदगा द्वारा गलत ढंग से निविदा आमंत्रित कर कार्य आवंटित करने के संबंध में ।	13.02.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 431/2014	परिवादी का गलत / अवैद्य पदस्थापन तथा अन्तः	26.02.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी

		परिवारिक कलह के संबंध में श्री मदन कुमार एवं अन्य गोड्डा का शिकायत ।		का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं 449/2014	मनरेगा योजना के माध्यम से अवैद्य तरिके से संपति अर्जित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार सिंह आजीवन कारावास कैदी होटवार जेल राँची का शिकायत ।	04.02.2015	शिकायत एक केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोकसेवक के विरूद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 17/2015	इस्लाम नगर एवं नागाबाबा खटाल के विस्थापितों के नाम पर हो रहे घोटाले के संबंध में श्री अजय तिर्की, जयप्रकाश नगर राँची का शिकायत ।	24.02.2015	परिवाद माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित है अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 26/2015	नये पंचाायत केनिर्माण के संबंध में श्री विजय कुमार सिंह गढ़वा का शिकायत ।	25.02.2015	शिकायत सामान्य प्रकृति का है तथा कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 152/2014	यंत्र–संयत्र, भन्डार सामग्री एंव कंडम वाहन की निलामी में सरकारी राजस्व की लूट खसोट करने के संबंध में श्री पवन शंकर पाण्डेय, चक्रधरपुर का शिकायत ।	26.02.2015	पार्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 181/2014	निविद प्रक्रिया एंव निविदा निस्तार में घोर अनियमितता बरतने तथा पारदर्शिता नहीं करने के संबंध में श्री आलोक सिंह, अधिवक्ता, देवघर का शिकायत ।	26.02.2015	पार्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं0 575/2014	विद्युत चोरी में गलत FIR दर्ज करने के संबंध में श्री चन्द्रभूषण , हजारीबाग का शिकायत ।	04.02.2015	वाद के संबंध में परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं0 100/2014	आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री सुनील कुमार, मारहाबादी, राँची का शिकायत ।	25.02.2015	पार्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण

				माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 05/2015	परिवादीनी शुभा जुविता टोप्पो के आवेदन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में ।	04.02.2015	शिकायत पत्र परिवारिक झगड़े से संबंधित है जो लाकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 11/2015	भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज उठाने की वजह से परिवादी मो0 बबलू अंसारी अधिवक्ता गिरीडिह एवं उनके परिजनों को प्रताड़ित करने तथा झूठा केस में फंसाने के संबंध में ।	04.02.2015	परिवाद से प्रतीत होता है कि यह किसी लोकसेवक के विरूद्ध नहीं किया गया है।अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 390/2014	गोबिन्द पुर थाना के विरूद्ध श्री प्रसुन कुमार मिश्रा को शिकायत ।	13.02.2015	पार्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं.558/13	लाइसेंस नवीकरण नहीं करने के संबंध में श्री आलोक पैरवार, इचाक, हजारीबाग का शिकायत ।	25.02.2015	पार्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।